न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 2917 / 2003 / बाड़मेर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शिव जिला बाड़मेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– सूरताराम पुत्र जवाराम (मृतक) जरिये विधिक वारिसानः–
1/1. जीवणाराम पुत्र स्व0 सूरताराम
1/2. जुगताराम पुत्र स्व0 सूरताराम
1/3. केवलाराम पुत्र स्व0 सूरताराम
1/4. मेवाराम पुत्र स्व0 सूरताराम
1/5. ढेली पत्नी स्व0 सूरताराम
समस्त निवासीगण गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर।
1/6. होली पुत्री स्व0 सूरताराम
निवासी रोहीली तहसील व जिला बाड़मेर।
1/7. मरूवा पुत्री स्व0 सूरताराम
निवासी मूंगेरीया तहसील शिव जिला बाड़मेर।
2– पाताराम पुत्र जवाराराम
3– सरूपाराम पुत्र जवाराराम
4– सगताराम पुत्र जवाराम
5– भानाराम पुत्र जवाराराम
समस्त जाति कुम्हार निवासी गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थित :
श्री एस.पी. ओझा, राजकीय अभिभाषक
श्री अशोक नाथ योगी, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

दिनांकः—11.08.25

निर्णय

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04—1—2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण वादीगण ने राजस्थान सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय बाड़मेर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 216 रकबा 83 बीघा 18 बिस्वा वाके मौजा गूंगा तहसील शिव में स्थित है, में से 40 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त सम्वत् 2029 से निरन्तर चला आ रहा है जिसके आधार पर उन्हें खातेदार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार शिव द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण वादीगण वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज थे, तथा विवादित भूमि में से 20 बीघा भूमि वादीगण को नियमन हो चुकी है एवं शेष 20 बीघा भूमि के बाबत वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाब दावे के आधार पर कुल 4 तनकी कायम कर दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय दिनांक 13—9—2001 द्वारा वादीगण का वाद निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय व डिकी दिनांक 13—9—2001 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण वादीगण ने प्रथम अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर न्यायालय में प्रस्तुत की, जिन्होंने निर्णय व डिकी दिनांक 04—1—2003 के द्वारा वादीगण की अपील स्वीकार कर उन्हें वादग्रस्त भूमि 40 बीघा का खातेदार घोषित कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3— अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

4— विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत सम्वत 2012 के पूर्व से अथवा सम्वत 2012 में यदि भूमि पर वादीगण की हैसियत काश्तकार के रूप में दर्ज हो तब ही उनकी रिलीफ विचारण योग्य हो सकती है, जबकि वादीगण ने स्वयं अपना कब्जा

सम्वत् 2029 से बताया है। ऐसे में वादीगण द्वारा जो घोषणा खातेदारी की चाही है वह कानूनन प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि 40 बीघा में से 20 बीघा भूमि जब वादीगण को नियमन हो चुकी थी तब उनके द्वारा पुनः 40 बीघा का घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी का वाद यह निष्कर्ष अंकित कर स्वीकार किया है कि वादीगण का कब्जा सम्वत् 2020 से है, इसलिए एडवर्स पजेशन का लाभ वादीगण को मिलता है। जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेकार्ड पर मौजूद नहीं था जिससे यह साबित होता हो कि वादीगण लगातार कब्जे काश्त में चले आ रहे हैं। विचारण न्यायालय ने विधिसम्मत् निर्णय से वादीगण का वाद खारिज किया था जबकि अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार के आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों को नजरअदांज करते हुये निर्णय पारित किया है। वादीगण की हैसियत विवादित आराजी पर मात्र अतिक्रमी की रही है। कानूनन कोई व्यक्ति खातेदारी का दावा करता है तो उसे साक्ष्य सबूतों से सिद्ध करना होगा कि वह घोषणा का हकदार है। अपीलीय अधिकारी ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा आवश्यक तनकीयात कायम की जाकर तथ्यों व साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन करते हुये वाद खारिज किया है, जबकि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअदांज करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा कायम तनकी पर बिना अपना निष्कर्ष अंकित किये विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत जाकर अपील स्वीकार की है। वादीगण ने उन्हें 20 बीघा भूमि नियमित होने का तथ्य छुपाकर दावा किया है, इसलिये बिना क्लीन हैंड के प्रस्तुत दावा निरस्त योग्य है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पूर्व में नियमित भूमि को शामिल कर 40 बीघा की खातेदारी देने का निर्णय मनमाफिक होकर विधिविरूद्ध है। उनका वादीगण को 20 बीघा भूमि ही पर्याप्त न होने तथा जीविकोपार्जन हेतु और भूमि की आवश्यकता होकर अतिरिक्त भूमि पर अधिकार देने का विवेचन विधिक आधार पर तर्कसम्मत व औचित्यवान न होकर अपीलीय न्यायालय ने निर्णय देने में अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार करने में कानूनी व क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि कारित की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थीगण वादी का कब्जा काश्त सेटलमेंट के पूर्व से लगातार चला आ रहा है और सम्वत् 2020 से लगातार खसरा गिरदावरी में नाम दर्ज चला आ रहा है। प्रत्यर्थीगण द्वारा खसरा गिरदावरी एवं राजस्व रिकॉर्ड की नकलें पेश की हैं और स्वयं एवं

भूमि के पड़ौसियों के बयान कराये हैं। सभी ने वादीगण के वाद की ताईद की है। हल्का पटवारी ने अपीलार्थी का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। गिरदावरी पहले इनके पूर्वजों के नाम होती थी, अब अपीलार्थीगण के नाम गिरदावरी दर्ज हो रही है। मौके पर ढ़ाणी व रिहायशी मकान बना है। विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा साक्ष्यों से साबित कराने के बावजूद वाद खारिज किया गया है। विवादित आराजी पर विगत 38 वर्षों से अधिक समय से वादी का निर्बाध एवं निरंतर कब्जा पाये जाने की स्थिति में एडवर्स पजेशन के आधार पर अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एंव वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। मंडल न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं। अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है, जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6— उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों के साथ—साथ पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का भी गहनता से अध्ययन किया गया।

7— प्रत्यर्थीगण वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय में राजकीय भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 83 बीघा 18 बिस्वा में से 40 बीघा भूमि पर वादीगण का भूमिहीन होकर संवत् 2029 से पूर्व से कब्जा—काश्त होना क्लेम कर इस भूमि पर उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के आधार पर घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, शिव द्वारा जवाब दावे में दावे के तथ्यों को अस्वीकार कर वादीगण का खसरा नम्बर 216 में मात्र 20 बीघा भूमि पर अतिक्रमण होना तथा इतनी भूमि का उनके पक्ष में पूर्व में नियमन कर दिया जाना बताते हुये वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा—काश्त होना अस्वीकार किया गया। वादीगण के प्रलेखीय साक्ष्य नामांतरकरण संख्या 758 दिनांक 03—05—1994 से स्पष्ट है कि वर्ष 1994 में खसरा नम्बर 216 रकबा 103 बीघा 18 बिस्वा में से वादीगण को खसरा नम्बर 216/6 रकबा 20 बीघा का नियमन हुआ था। वादीगण का उक्त तथ्य को छुपाकर स्वयं को भूमिहीन बताते हुये इस खसरा नम्बर की 40 बीघा और भूमि पर खातेदार अधिकारी हेतु दावा किया जाना उचित नहीं माना जा सकता है। दावे में

तनकी संख्या 1 घोषणा की रिलीफ मुख्य विवाद्यक है, जिस पर विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों को विस्तृत विवेचित कर दावा साबित होना नहीं माना है। साक्ष्यों के अवलोकन उपरान्त हम विचारण न्यायालय के इस विवेचन से सहमत हैं कि वादीगण का वर्ष 2020 से पूर्व के कब्जा–काश्त बाबत कोई साक्ष्य नहीं है तथा इसके पश्चात कुछ–कुछ वर्षों में कम–ज्यादा रकबे पर कब्जा काश्त को प्रदर्शित करने के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, जिसके क्रम में इस खसरा नम्बर में 20 बीघा भूमि का वादीगण के पक्ष में नियमन भी किया जा चुका है। प्रस्तुत साक्ष्यों से वादीगण का 40 बीघा पर निरन्तर कब्जा–काश्त का क्लेम कतई साबित न होने से अपीलीय न्यायालय का वादीगण के पक्ष में 38 वर्षों से निरन्तर आवेदित रकबे पर कब्जा–काश्त व एडवर्स पजेशन होने का विवेचन स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण है। अपीलीय न्यायालय का वादीगण के 40 बीघा पर क्लेम को 20 बीघा पूर्व में नियमित हुई भूमि को शामिल कर 20 बीघा की खातेदारी और स्वीकार करते हुये दावा डिक्री करना प्लिडिंग्स व साक्ष्यों से परे निर्णय होकर गलत व विधिविरूद्ध आदेश है। उनका इस निश्कर्ष के समर्थन में वादीगण को 20 बीघा भूमि जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त न होने से वे और भूमि के हकदार होने का विवेचन औचित्यहीन होकर विधि अनुरूप नहीं है जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार का गलत निर्वहन किया है। उनके समक्ष साक्ष्यों से दावे तथा अपील के तथ्य प्रमाणित नहीं थे तथा 20 बीघा भूमि पूर्व में वादीगण को नियमन होने की वस्तुस्थिति भी स्पष्ट थी, फिर भी अपीलीय न्यायालय ने दावे को साबित मानकर अपील स्वीकार कर वादीगण को खातेदार घोषित कर स्थायी निषेधाज्ञा का भी अनुतोष प्रदान कर दिया। हमारा सुविचारित मत है कि प्रत्यर्थीगण वादीगण की रिलीफ स्वीकार योग्य नहीं है तथा अपीलीय न्यायालय का निर्णय तथ्यों, साक्ष्यों व विधि अनुरूप न होने से निरस्तनीय है।

8– अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–01–2003 अपास्त की जाकर सहायक कलक्टर मुख्यालय, बाडमेर न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–9–2001 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस् य